"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2009—श्रावण 1, शक 1931

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई, 2009 (श्रावण 1, 1931)

क्रमांक-6795/वि. स./विधान/2009.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009), जो दिनांक 23 जुलाई, 2009 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2009 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 17 का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (एम) का लोप किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (सी सी) का लोप किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. कई पदाधिकारियों को उक्त प्रावधान के कारण अपने पद से निर्रह होना पड़ा है. इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड (एम) तथा धारा 17 की उपधारा 2 के खण्ड (सी सी) को विलोपित किये जाने हेतु कतिपय संशोधन लाना आवश्यक है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक : 9 जुलाई, 2009

राजेश मूणत
नगरीय प्रशासन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 17 की उपधारा (1) (एम) जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् यदि हुआ हो.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 17 की उपधारा (2) (सी सी) 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् उसकी एक संतान पैदा हो जाती है जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.